संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आ.प्र./2017/ 57 भोपाल, दिनांकः 25/06/2017

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्य प्रदेश।

विषयः—बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्षा ऋतु में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से निपटने के लिये पूर्व में भी दिशा—निर्देश जारी किये गये है। प्रदेश में कई जिलों में अति वर्षा के कारण बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप बाढ़ की स्थिति पर सतत् निगरनी रखें तथा स्थिति पर नियंत्रण हेतु पूर्ण तैयारी रखें।

1 अपने जिले में शहरी बाढ़ नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करें एवं ट्रेंड स्टॉफ की टीम बनाकर सेल गठित करें।

2 अपने जिले की स्थिति (नदियों, बांध के किनारे अथवा पहाड़ी पर) अनुसार शहरी बाढ पर नियंत्रण एवं उसके प्रभाव को कम करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (sop-standard operating procedure) निर्धारित करें।

3 हितधारकों (stakeholder) की क्षमता वृद्धि हेतु वर्कशाप आयोजित करे।

4 कन्ट्रोल रूम में बाढ़ के दौरान प्रचार प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को गंदे, सडे, गले व कटे हुये फलों, बाजार में खुले हुये खाद्य पदार्थो का सेवन नहीं करने तथा खाने पीने हेतु स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी का उपयोग करने की जानकारी दी जावे।

5 बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को चिहिन्त कर लेवें।

6 संभावित अस्थाई राहत शिविरों हेतु मेडिकल टीम का गठन कर, चिकित्सा व्यवस्था एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर लेवें।

7 बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में महामारी की रोकथाम हेतु उचित प्रचार प्रसार की सामग्री तत्काल तैयार कराकर प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जावे, ताकि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से उन्हें बीमारियों से बचाव हेतु शिक्षित किया जा सके।

8 समस्यामूलक ग्रामों की पहचान कर वहां महामारी नियंत्रण हेतु डिपो होल्डर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहां पर्याप्त मात्रा में निर्धारित औषधियां रखी जावें ताकि जल जनित बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सके।

9 बाढ़ से होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु ए.एन.एम./आशा कार्यकर्ता/ ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जावे।

10 इस हेतु आप स्वयं अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनायें तथा नोडल अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कन्ट्रोल रूम के बाहर प्रदर्शित करावे व संचालनालय को भी भेंजे।

11 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा हेतु अस्थाई चिकित्सालय खोले जाने की व्यवस्था कर लेवें। जिसमें महामारी, बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था की जावे।

12 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया/डेंगू की रोकथाम हेतु दवाई के छिड़काव की व्यवस्था करें तथा पीड़ितों के उपचार हेतु आवश्यक औषधि एवं रक्त पट्टी की व्यवस्था करें।

13 जिला चिकित्सालयों में 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जावे।

14 समस्त जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करें, तथा दवा विक्रेताओं के पास भी आवश्यक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जावे।

15 निजी चिकित्सालयों के चिकित्सको को आवश्यकता होने पर सहयोग हेतु तैयार कर लेवे।

16 जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कलेक्टर से एवं विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक मेडिकल आफिसर व अनुभाग अधिकारी से समन्वय रखे।

17 सूचना संचार तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर विभिन्न विभागों वन, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, राजस्व, मौसम विभाग, पंचायत, शिक्षा आदि से सहयोग बनाये रखें ताकि महामारी, बाढ़ आदि आपदाओं से निपटा जा सके।

18 कंट्रोल रूम में आवश्यक दवाईयॉ मय मेडिकल टीम एवं वाहन के उपलब्ध रखें, कन्ट्रोल रूम बाढ़ के दौरान 24 घंटे निरंतर कार्यरत रखे एवं प्रचार माध्यम से जन–साधारण को इसकी जानकारी दी जावे।

19 जिले में स्थापित ट्रामा सेन्टर को किसी भी आपदा की स्थिती से निपटने हेतु तैयार कर समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावे।

20 अपने जिले के सभी विकासखण्डों के स्थानीय निकायों लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग तथा ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय कर बहुउददेशीय कार्यकर्ताओं, एनएनएम तथा आशा के माध्यम से शुद्ध पेय जल प्रदाय करवाने की व्यवस्था करें।

21 सरकारी भवनों/कार्यालय एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर मानसून से पूर्व भराव रोकने बाबत समतलीकरण का कार्य पूर्ण करने हेतु संबंधित विभाग से सम्पर्क बनायें।

संचालक (आपदा प्रबंधन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/7/आ.प्र./2017/ भोपाल, दिनांक/ /06/2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.
2. स्वास्थ्य आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, 8, जेल रोड, अरेरा हिल्स भोपाल।
4. उप सभापति, म.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग म.प्र. शासन, पर्यावरण परिसर ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल, म.प्र.।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।

संचालक (आपदा प्रबंधन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश